SEMESTER – II

CC – 6

HISTORY OF EUROPE AND MODERN WORLD
(1919 - 2000)

Unit – I : Topic

Paris Peace Conference and the Peace of Treaties

(Vol. II)

Vetted by :

प्रो॰ (डॉ॰) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9835463960

डॉ॰ राजेश कुमार

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 9430934482

पेरिस शांति सम्मेलन में की गई प्रमुख संधियाँ

जर्मनी के साथ	ऑस्ट्रिया के साथ	बुल्गोरिया के साथ	हंगरी के साथ	तुर्की के साथ
वर्साय की संधि	सेंट जमैन-एन-लाए की संधि	न्वीयली की संधि	त्रियानों की संधि	सेव्रे की संधि
(Treaty of Versailles)	(Treaty of Sain-Germain	(Treaty of Neuilly)	(Treaty of Trainon)	(Treaty of Sevres)
28 June, 1919	10 Sep, 1919	27 Nov, 1919	4 June, 1920	10 Aug, 1920

- **उद्देश्य :–**

इस इकाई के खंड-II के पढ़ने के बाद आप :

(a) वर्साय की संधि एवं प्रभाव को जान पाएंगे ।

(b) सेंट–जैमन–एन–लाई की संधि के बारे में जान पाएंगे ।

(c) न्वीयली की संधि को समझ सकेंगे ।

(d) त्रियानों की संधि के बारे में जान पाएंगे ।

(e) सेव्रे की संधि के बारे में जान सकेंगे ।

- **प्रस्तावना :–**

इस इकाई के खंड-I आप पढ़ चुके होंगे, कि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व में शांति–व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन 1919 में किया गया था । इस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ अलग–अलग संधियाँ की थी । इन संधियों खासकर जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि के प्रारूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कि संधि का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित राष्ट्र से प्रतिशोध लेना था । एक ओर जहाँ वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी को प्रत्येक दृष्टिकोण से पंगु बनाने का कार्य किया गया, वहीं जर्मनी के अन्य सहयोगी राष्ट्रों के साथ भी इसी तरह के प्रयास किए गए, जिससे विश्व में कुछ समय के लिए तो शांति बनी रही, लेकिन

जल्द ही इसका बदला लेने के लिए हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का उदय हुआ। इसके कार्यों ने अंततः 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध को जन्म दिया ।

- **वर्साय की संधि :–**

वर्साय की संधि का मसौदा अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में किया गया था । संधि 15 भागों में विभक्त थी और 440 अनुच्छेद थे । इससे प्रथम भाग में राष्ट्रसंघ की स्थापना, संगठन एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है ।

- **वर्साय की संधि के अंतर्गत प्रादेशिक व्यवस्था :**

(1) जर्मनी के एल्सेस लोरेन (Alsace Lorraine) के प्रांत फ्रांस को देने पड़े । जर्मनी के सार (Saar) प्रदेश पर राष्ट्रसंघ का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और वहाँ का शासन चलाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया । 15 वर्ष बाद उस क्षेत्र के भाग्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा करने की व्यवस्था की गई। इस अवधि में सार की कोयले की खदानों को चलाने का अधिकार फ्रांस को दिया गया ।

(2) जर्मनी की सीमा पर स्थित मोर्सनेट (Morsenet) तथा यूपेन (Eupan) बेल्जियम को दे दिया गया ।

(3) श्लेसविग में जनमत संग्रह किया गया और उसके आधार पर उत्तरी श्लेसबिग डेनमार्क को दे दिया गया तथा दक्षिणी श्लेसविग जर्मनी के पास रहा ।

(4) जर्मनी की पूर्वी सीमा पर सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा ।

पेरिस शांति सम्मेलन ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के पोलित क्षेत्रों को लेकर स्वतंत्र पोलैंड राज्य का निर्माण किया गया । जर्मनी को स्वतंत्र पोलैंड के राज्यों को मान्यता देनी पड़ी और पोसेन के प्रांत का 5/6 भाग तथा पश्चिमी प्रशा का अधिकांश भाग पोलैंड को देना पड़ा । इसके अतिरिक्त साइलेशिया (ऊपरी भाग) का एक बड़ा भाग जनमत संग्रह के आधार पर पोलैंड को दिया गया ।

(5) पोलैंड के नवनिर्मित राज्य का समुद्र तट से स्थापित करने के लिए जर्मनी को डेंजिंग (Danzig) का बंदरगाह राष्ट्रसंघ को देना पड़ा । डेंजिंग के चारों ओर का 700 वर्गमील

का क्षेत्र मिलाकर स्वतंत्रता नगर (Free City) घोषित किया गया और उसका शासन चलाने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त आयुक्त की व्यवस्था की गई।

(6) जर्मनी को बाल्टिक सागर तट पर स्थित मेमेल (Mamel) का बंदरगाह भी राष्ट्रसंघ को हस्तांतरित करना पड़ा । 1923 में मेमेल का बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया ।

(7) जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के नवनिर्मित राज्य को भी मान्यता दी और ऊपरी साइलेशिया का एक छोटा-सा क्षेत्र भी उसको हस्तांतरित किया गया ।

(8) लक्सेमबर्ग की रेलवे लाइन पर जर्मनी ने अपने समस्त अधिकार छोड़ दिए और यह भी स्वीकार किया, कि 1 जनवरी, 1919 से लक्सेमबर्ग जर्मनी के सीमा शुल्क संघ सदस्य नहीं होगा ।

उपरोक्त प्रादेशिक व्यवस्था के अनुसार जर्मनी को यूरोप में अपने राज्य का लगभग 22.5% भाग और लगभग उसी अनुपात में अपने आर्थिक उत्पादन के स्त्रोतों तथा 70 लाख जनसंख्या का परित्याग करना पड़ा ।

- **जर्मन उपनिवेश :**

इसके अतिरिक्त जर्मनी से उसका समस्त औपनिवेशिक साम्राज्य भी छीन लिया गया। राष्ट्रसंघ द्वारा उसके इंगलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान में बाँट दिया ।

- **जर्मनी का निरस्त्रीकरण :**

(1) जर्मनी के पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से फ्रांस को ध्यान में रखकर शांति सम्मेलन के निर्णायकों ने उसकी सैनिक, नौ-सैनिक शक्ति पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया ।

(2) जर्मनी की सेना की संख्या सैनिक अधिकारियों सहित 1,00,000 (एक लाख) निर्धारित की गई । जर्मनी को अनिवार्य सैनिक सेवा भी समाप्त करने के लिए आदेश दिये गये । अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद आदि के उत्पादन को सीमित कर दिया गया ।

(3) नौ-सैनिक शक्ति को सीमित कर दिया गया । उसे केवल युद्धपोत हल्के युद्धपोत, बारह विध्वंसक जहाज और बारह (12) टारपीडो नौकाएँ रखने की आज्ञा दी गई । जर्मनी को किसी भी प्रकार की वायु सेना रखने का भी निषेध कर दिया गया ।

संधि के अनुसार मित्र राज्यों को निशस्त्रीकरण संबंधी धाराओं को कार्यांवित करने के लिए अंतमित्र राष्ट्रीय आयोग (Inter Allied Commission) नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया ।

प्रो॰ कार ने इस विषय में लिखा है कि 'जर्मनी का जिस कठोरतापूर्वक सर्वांगीण निशस्त्रीकरण किया गया, उतना और कभी किसी देश का नहीं किया गया था । लिखित रूप से प्राप्त आधुनिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता (International Relation between the two worlds wars) ।

- **जर्मन उपनिवेश :**

(1) जर्मनी की प्रमुख नदियाँ एल्ब (Elbe), ओडर (Oder), नीमन (Niemen) और डेन्यूब को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष आयोग गठित किए गए ।

(2) जर्मनी को अपने प्रमुख बंदरगाह हेम्बर्ग (Hamburg) और स्टेटिन (Stennin) में चेकोस्लोवाकिया को व्यापारिक सुविधा के लिए स्वतंत्र क्षेत्र देने के लिए बाध्य किया । कील नहर में सभी राज्यों के जहाजों को आने-जाने का अधिकार दिया गया ।

- **ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जमैन-एन-लाए की संधि (Treaty of Sain-Germain with Austria):–**

10 सितंबर, 1919 ई॰ को ऑस्ट्रिया और मित्र-राष्ट्रों के मध्य पेरिस के नजदीक सेंट जर्मे (St. Germaine) नामक स्थान पर संधि हुई । इसकी निम्नलिखित शर्तें थी :

(1) ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य को दो पृथक् राज्यों में विभाजित करके ऑस्ट्रिया तथा हंगरी नामक दो पृथक् राज्यों की स्थापना की गई ।

(2) बोहेमिया तथा मोरेसिया को मिलाकर चेकोस्लोवाकिया नामक नये राज्य का निर्माण किया गया ।

(3) संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को बाध्य किया गया, कि वह युद्ध की जिम्मेवारी स्वीकार करे और उस पर भी जर्मनी की तरह एक बड़ी धनराशि क्षति के रूप में लागू कर दी गई ।

(4) ऑस्ट्रिया को युद्ध अपराधियों को सौंपने के लिए कहा गया और उसकी राष्ट्रीय सेना की निधियाँ बीस वर्षों के लिए जब्त कर ली गयी ।

(5) ऑस्ट्रिया की सेना की संख्या 30,000 तय की गई ।

(6) टाइरोल का प्रदेश इटली को दिया गया ।

(7) ऑस्ट्रिया तथा हंगरी से कुछ प्रदेश लेकर रोमानिया में मिला दिये गये तथा उसका विस्तार कर दिया गया ।

- **बुल्गारिया के साथ न्वीयली की संधि (Treaty of Neuilly with Bulgaria):–**

(1) बुल्गारिया को बल्कान युद्धों में जीते हुए सभी प्रदेशों को लौटाना पड़ा । इस शर्त के अंतर्गत दीब्रद्जा का प्रदेश रूमानिया को मैसीडोनिया का अधिकांश भाग यूगोस्लाविया को तथा थ्रेस का प्रदेश यूनान को दिय गया ।

(2) उस पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख डॉलर की रकम लाद दी गई ।

(3) उसकी सेना घटाकर तैंतीस हजार कर दी गई ।

- **हंगरी के साथ ट्रियानों की संधि (Treaty of Trianon with Hungry) :–**

हंगरी के प्रतिनिधि काउंट एलबर्ड एपीनो ने 4 जून, 1920 ई॰ को जिस संधि पर हस्ताक्षर किये । उसे ट्रियानों की संधि कहते हैं । इसकी शर्तें थी :

(1) इस संधि के अनुसार हंगरी को अपने सभी पड़ोसी देशों को अपने भू-भाग से कुछ न कुछ भाग देना पड़ा । ट्रांसिलबेनिया और उसके कुछ प्रदेश रूमानिया को दिया गया। क्रोटिया, स्लावोनिया, बोस्निया-हर्जेगोविना यूगोस्लाविया को, तथा स्लोवाकिया का प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को प्राप्त हुआ । हंगरी के समुद्री मार्ग फ्यूम का निर्णय इटली एवं यूगोस्लाविया के समझौते पर छोड़ दिया ।

(2) हंगरी की सेना 35,000 निश्चित की गई ।

(3) अन्य पराजित राष्ट्रों की तरह हंगरी को युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया गया और उसकी युद्ध क्षति के रूप में एक बड़ी रकम देनी पड़ी ।

- **तुर्की के साथ सेव्रे की संधि (Treaty of Sevres with Turkey) :-**

सबसे अंतिम संधि तुर्की के साथ हुई, जिसे सेवर्स की संधि कहते हैं । इसकी शर्तें इस प्रकार थी :

(1) थ्रेस और इजियन सागर में स्थित द्वीप-समूहों को यूनान को दे दिया गया । स्मर्ना का प्रदेश भी यूनान को प्राप्त हुआ ।

(2) कुस्तुनतुनिया तुर्की के पास ही रहने दिया गया ।

(3) खाड़ियों (Straits) को निष्पक्ष रखा गया और उनके आस-पास के क्षेत्रों को सेनारहित करार दिया गया ।

(4) डार्डेनल्स के जलडमरूमध्य को एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के नियंत्रण में रख दिया गया ।

(5) मिस्त्र, अरब, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोलिटीनिया, मोरक्को, ट्यूनिशिया, मेसोपोटामिया, अमेनिया तथा फिलीस्तीन तुर्की की अधीनता से मुक्त कर दिये गये । मिस्त्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया ।

(6) तुर्की पर कई तरह के सैनिक प्रतिबंध भी लगाये गये ।

(7) राष्ट्र संघ के अधीन सीरिया का शासन फ्रांस को तथा फिलीस्तीन एवं मेसोपोटामिया का शासन ब्रिटेन के सुपुर्द कर दिया गया ।

उपर्युक्त संधि की शर्तों के कारण एक बड़ा भू-भाग तुर्की के हाथ से निकाल जाने थे, लेकिन शीघ्र ही सेव्रे की संधि में अड़चनें आ गयी । मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हो गयी और तुर्की ने यूनान के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसे अपने प्रदेशों से बाहर खदेड़ दिया । बाद में तुर्की में कमाल पाशा के अधीन गणतंत्र की स्थापना हुई । उसने मित्र राष्ट्रां को सेवर्स की संधि बदलने के लिए राजी कर लिया और फलस्वरूप तुर्की के साथ लासेन की संधि हुई । जिसकी शर्तें थी :

(1) पूर्वी थ्रेस और बुल्गारिया एड्रियानोपल यूनान से ले लिए गए तथा ये प्रदेश पुनः तुर्की को मिल गये ।

(2) स्मर्ना पर तुर्की का अधिकार स्वीकार किया गया ।

(3) जलसंयोजकों पर ये अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण हटा दिया गया, परंतु साथ ही यह भी तय किया गया, कि तुर्की वहाँ पर कोई किलाबंदी नहीं करेगा तथा खाड़ियों को निष्पक्ष करार दिया गया और सब देशों के जहाजों को उनमें गुजरने का अधिकार दिया गया ।

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद जितनी भी संधियाँ पराजित राष्ट्रों से की गई, उनमें केवल लासेन की संधि ही ऐसी थी, जो कि दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक समझौते से तय हुई थी ।

- **राष्ट्रसंघ की स्थापना :** राष्ट्रसंघ (League of Nations) का निर्माण एवं संगठन वर्साय संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग तथा निर्णय था । यह मूलतः अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का सुझाव था । वर्साय संधि की प्रथम 26 धाराएँ राष्ट्र संघ का ही संविधान थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाये रखना तथा राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना था ।

- **वर्साय संधि की आलोचना (Criticism of the Treaty of Versailles) :–**

वर्साय की संधि में विभिन्न राजनीतिज्ञों एवं विद्वानों ने भिन्न-भिन्न राय दी हैं । उदाहरणार्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने ब्रिटिश संसद में इसके बारे में कहा "प्रस्तावित संधि को जर्मनी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कहा जा सकता । इसकी कुछ शर्तें अवश्य भयानक जँचती हैं । परंतु, यदि जर्मनी कही जीत जाता, तो इससे भी अधिक भयावह परिणामों का आज हमें सामना करना पड़ता ।" जो लोग इस संधि को उचित ठहराते हैं, वे एक तर्क यह भी देते हैं, कि ये शर्तें पूर्णतया यूरोप के जनमत के अनुसार तय की गयीं । उस समय यूरोप के विजित देशों, विशेषकर फ्रांस का जनमत पूर्णतया जर्मनी के विरूद्ध था । यूरोप के लोग चाहते थे, कि पेरिस सम्मेलन में भाग लेने वाले जर्मनी पर कड़ी शर्तें लगा दें, ताकि यह भविष्य में युद्ध करने के बारे में सोचे तक भी नहीं । कुछ अन्य लोग यह तर्क देते हैं, चूँकि वर्साय की संधि की शर्तें विविध आयोगों द्वारा पृथक्-पृथक् निर्णयों के आधार पर तय की गयी, इसलिए यह संधि अत्यंत कठोर बन गयी । वे तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि यदि शांति-सम्मेलन की कार्यवाही कुछ दूसरी पद्धति से होती, तो शायद इस संधि का स्वरूप ऐसा नहीं हो पाता । विद्वानों का एक अन्य समूह वर्साय संधि की इसलिए भी प्रशंसा करता है, कि इसमें राष्ट्रीयता के सिद्धांत का पूरी तरह ध्यान रखा गया । उदाहरणार्थ, पाल वर्जसाल लिखते हैं – "अनेक अन्यायों के बावजूद पेरिस की संधि ने यूरोप के जिस मानचित्र का निर्माण किया, उसमें विभिन्न राष्ट्रों की सीमाएँ जातियों के दर्शन करने वाले यूरोप के मानचित्र की सीमाओं से अधिकतम साम्य रखती थी ।" नि:संदेह कुछ बातों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन अवश्य हुआ, लेकिन इस बात को मानना ही पड़ता है, कि अधिकतम मामलों में इस सिद्धांत का पालन हुआ, अंत में यह मानना पड़ता है, कि वर्साय की संधि का सर्वाधिक अच्छा पहलू राष्ट्रसंघ है । इसी संधि के बाद लोग ऑफ नेशंस (राष्ट्रसंघ) की स्थापना 10 जनवरी, 1920 ई॰ को हुई । विश्व के महान् नेताओं का इरादा था, कि उसे सब स्वतंत्र राज्यों का विश्व संगठन बनाया जाए । उसके लक्ष्य थे – शांति और सुरक्षा बनाये

रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निबटारा तथा सदस्यों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए तैयार करना । उसकी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था अनुशासन के संबंध में थी । इसके अनुसार आक्रमणकाी देश के विरूद्ध आर्थिक और सैनिक कार्रवाई की जानी थी । इस संस्था ने अपने सदस्यों को अपने यहाँ श्रमिकों की हालत तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए वचनबद्ध किया । इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना की गई, जो अब भी संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की एक विशेष एजेंसी है । संधि की नकारात्मक पक्ष ये है :

अधिकांश विद्वान्, उदारवादी लोग तथा निष्पक्ष राजनीतिज्ञ यह मानते हैं, कि कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता, कि वर्साय की अधिकतर शर्तें कठोर तथा पराजित राष्ट्रों के लिए अपमानजनक थी । इस संधि की चार बातें सभी पराजित देशों के लिए इस संधि को कठोर बनाती हैं । वे हैं –

(a) पराजित राष्ट्रों पर ही युद्ध का दायित्व थोपना
(b) पराजित देशों से अनेक प्रदेश तथा उपनिवेश छीन लेना
(c) उनकी सैनिक शक्ति को जबर्दस्ती सीमित कर देना
(d) पराजित राष्ट्रों पर युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी भारी धनराशि लाइ देना

वर्साय की संधि एक आरोपित अथवा थोपी गई संधि थी । इस संधि को तैयार करते समय पराजित राष्ट्रों को अलग रखा गया । संधि का अर्थ क्या है ? संधि उसको कहते हैं जिनको दोनों पक्ष (अर्थात् विजयी तथा पराजित) के लोग परस्पर विचार-विमर्श के उपरांत स्वीकार करें । जैसे : 1815 ई॰ में विएना सम्मेलन में फ्रांस को आमंत्रित किया गया था । यह संधि मित्र राष्ट्रों का आदेश था, जिसे जर्मनी एवं अन्य पराजित राष्ट्रों को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था । इसीलिए प्रारंभ से ही जर्मनी के प्रतिनिधि एवं विद्वान इसे 'आरोपित संधि' (Dictated Peace) की संज्ञा देते रहे । वैसे तो

युद्ध समाप्त करने वाली लगभग प्रत्येक संधि 'आरोपित संधि' होती है, लेकिन जैसा कि प्रोफेसर कार (Carr) का कथन है, "वर्साय संधि में आरोप का भाव सभी शांति-संधियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट था ।" संधि पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए जर्मनी को एक ही अवसर दिया गया और दूसरी बात जब संधि का संशोधित मसविदा उसको दिया गया, तो धमकी के साथ कि अगर वह निश्चित समय तक हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो युद्ध पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा ।

इस संधि के संबंध में एक अन्य बात ध्यान देने योग्य यह है, कि संपूर्ण वार्तालाप के समय और हस्ताक्षर करने के समय जर्मनी के साथ मामूली शिष्टाचार नियमों का भी पालन नहीं किया गया और ऐसे ही उन्हें बाहर जाया गया । जैसे ही जर्मन प्रतिनिधियों ने सिर झुकाये संधि पर हस्ताक्षर किये बाहर तोपें दगने लगीं । इन अपमानजनक तोपों की जोरदार ध्वनियों ने जर्मनी को बड़ा अपमानित किया । यही नहीं जर्मनी के राइन प्रदेश में 15 वर्षों तक मित्र-राष्ट्रों की सेनायें खकर भी उसका आपमान किया गया ।

निःशस्त्रीकरण की आड़ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी तथा तुर्की की सेनायें कम कर दी गयीं। इस आधार पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ा ।

वर्साय की संधि जर्मनी के साथ एक महान् विश्वासघात था । जर्मनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के '14 सूत्रों' के आधार पर आत्म-समर्पण था, लेकिन इन सूत्रों का खुलेआम उल्लंघन किया गया ।

मित्र राष्ट्रों ने इटली को अनेक प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया था, परंतु युद्ध के बाद हुई संधि में उसे उसकी इच्छानुसार कुछ भी नहीं मिला । इसीलिए वह असंतुष्ट हुआ तथा उसे उसकी इच्छानुसार कुछ भी नहीं मिला । इसीलिए वह असंतुष्ट हुआ तथा कालांतर में वहाँ फासिस्टवाद को बढ़ावा मिला ।

वर्साय की संधि जर्मनी के साथ-साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा तुर्की के लिए भी कठोर तथा अपमानजनक थी । उनसे कई प्रदेश छीन लिये गये । उनकी सैनिक शक्ति कम कर दी गई । इन सभी देशों की बड़ी-बड़ी जनसंख्या आस-पास के देशों में जबर्दस्ती विलय कर दी गई । ऑस्ट्रिया के लोग जर्मन जाति के थे । उनमें से कुछ प्रदेशों के लोग स्वेच्छा से जर्मनी में मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबर्दस्ती अलग ही नहीं रखा गया, बल्कि ऑस्ट्रिया को चेतावनी दी गयी, कि वह कभी भी गलती से भी इस बारे में न सोचे नहीं तो, कहीं उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त न हो जाये ।

अधिकांश विद्वान् यह मानते हैं, कि वर्साय की संधि द्वितीय महायुद्ध का एक मूल कारण थी, क्योंकि वर्साय जैसी कठोर एवं अपमानजनक संधि की शर्तों को कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक लंबे समय तक के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था । जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए वर्साय की संधि कोई 'सबक' नहीं हो सकती थी । यह एक घोर अपमान था, जिसे जर्मनी कभी भी नहीं भुला सकता था । उसके लिए यह स्वाभाविक ही था कि भविष्य में वह फिर युद्ध करे तथा अपने स्वाभिमान पर लगे धब्बे को धो डाले । जर्मनी को जैसे-जैसे मौका मिलता गया, उने वर्साय की संधि की शर्तों की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दीं । यह संधि अन्यायपूर्ण थी और बदले की भावना पर आधारित थी । इसीलिए कहा जाता है, कि यह संधि शांति की व्यवस्था न होकर दूसरे विश्वयुद्ध की व्यवस्था थी। इस संधि की कठोर शर्तों ने प्रथम युद्ध में पराजित राष्ट्रों के हृदय में भावी संघर्ष के बीज बोये । यहीं नहीं इटली जैसे कुछ विजयी देशों ने महसूस किया, कि उनको ठग लिया गया है, क्योंकि उनकी आशाएँ पूरी नहीं हो सकती थी । वर्साय संधि ने साम्राज्यवाद का विनाश नहीं किया था । वस्तुतः इसकी आड़ में विजयी शक्तियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था । इन्हीं कारणों से प्रतिस्पर्द्धा और संघर्ष बढ़े और अंततः 1939 ई॰ में एक अधिक भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया ।